

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की
धारा-4(1) ख के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान
के अन्तर्गत तैयार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का
17 बिन्दुओं का मैनुअल



30 सितम्बर, 2026 तक अध्यावधिक

अनुक्रमणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 (1) (ख) (मैनुअल 1-17 तक)

मैनुअल संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	बोर्ड की विशिष्टताएँ कृत्य और कर्तव्य	3-12
02.	बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं अधिकार	13-18
03.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है।	19
04.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापदण्ड	20
05.	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	21
06.	ऐसे दस्तावेज जो उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण।	22
07.	किसी व्यवस्था की विशिष्टताएँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	23
08.	ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।	24
09.	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	25
10.	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	26
11.	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टताएँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	27
12.	सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित धनराशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदेग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	28
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टताएँ	29
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	30
15.	सूचना अधिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं	31
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टताएँ	32
17.	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की ऐसी अन्य सूचना जो निहित की जाए।	33

मैनुअल संख्या – 1

धारा-4(I) ख (I)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य

उत्तराखण्ड सरकार राज्य के तेरह जनपदों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा-14 की उपधारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या **01/xvii/b-1/2002-04(03)/2021** दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा चतुर्थ बोर्ड का गठन किया गया है:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम
01.	श्री शादाब शम्स	अध्यक्ष
02.	श्री मौहम्मद शहजाद	मा० विधायक/सदस्य
03.	श्री मुनफैत अली, अधिवक्ता	सदस्य
04.	श्री मौहम्मद अनीस	सदस्य
05.	डॉ० हसन नूरी	सदस्य
06.	श्रीमती जिया बानो	सदस्या
07.	श्रीमती कहकशा नूरी, भारतीय वन सेवा	सदस्या
08.	श्री इकबाल अहमद	सदस्य
09.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य

प्रस्तावना

मुस्लिम लॉ में औकाफ का सिलसिला जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहौ अलैय वसल्लम के जमाने से जारी है और आरजूर तवारिख की शरए इस्लाम से मालूम होती है। सही बुखारी में में यह हदीस लिखी है कि हजरत उमर बिन खिताब रजिअल्लाहौ अनः रसूल मकबूल सल्लल्लाहौ अलैय वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद गरीब गुर्बा व मसाकिन ने हमेशा के लिए वक्फ कर दूँ, बस आप मुझको हिदायत फरमाए कि किस तौर से मैं इस जायदाद को अबरालन बाद तक गैर काबिल इन्तकाल कर सकता हूँ। आँ हजरत ने फरमाया कि जिस जायदाद को अलैहदा करके इस की आमदनी इसकी आमदनी को वक्फ कर दूँ। इस इरशाद फैज बुनियाद से एक अजिमुश्शान सिलसिला क्वानिन मुताल्लिका औकाफ व अमानत पैदा हुआ।

वक्फ की तारिफः— वक्फ के मायने किसी शै को रोक रखना या मुकिद करना है लेकिन इस्लाह में इससे मुराद किसी शै का किसी नेक काम के लिए या मुसलसल नेक कामों के वास्ते वक्फ किया जाना है। जो शै फी सबीरिल्लाह दी जाए वह वक्फ समझी जाती है। किसी कीमती शै की जात को खुदा की मिल्क में मुकिद कर देना और उसकी मुनफैल को दूसरों पर बे अगराज मजहबी व खैराती नेक नियती के साथ दाएमन सदका कर देने को इसाफ और सरीह इजहार वक्फ कहलाता है।

जब कोई शै वक्फ की जाती है तो उसकी मिल्कियत वाकिफ से निकल कर खुदा ऐ कादरों तवानो को मुन्ताकिल हो जाती है और जिस वक्त से इसको वक्फ करते हैं इस वक्त से इस शै को मानवी तौर पर कादिर मुतालिक मालिक समझा जाता है। लेकिन जो मुनाफा और आमदनी शै मौकूफा से होती है सिर्फ वही बन्दगाने खुदा के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है और वक्फ हो जाने के सबब से मौकूफ नाकाबले इन्तेकाल और नाकाबले विरासत हमेशा के लिए हो जाता है यानि शै मौकूफा न बै न रहन और न किसी और तरह से किसी शख्स को मुन्ताकिल हो सकती है जो शख्स अपनी शै को किसी मुकद्दस काम की अन्जाम दही के वास्ते राहे खुदा में देता है इसको वक्फ कहते हैं और जो इसकी निगरानी करता है इसको मुतवल्ली कहते हैं।

दरअसल वक्फ एक किस्म का अतिया है जो किसी अमूर दिनी या कार खैर के लिए होता है जिससे वाकिफ को माले वक्फ से फौरन दस्त बरदा हो कर इस कार खैर के लिए दे देना पडता है जिस काम के लिए वह वक्फ किया गया है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 की दफा 3(11) के मुताबिक वक्फ की तारिफ हस्बे जैल है।

वक्फ का मतलब किसी माल को मन्कूल व गैर मन्कुला दोनों शामिल है। किसी ऐसे मकसद के लिए मुस्तकिल और हमेशा के लिए वास्ते दे देना है। जो मुस्लिम लॉ और रिवाज के मुताबिक मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता है।

इस तरह सैन्ट्रल वक्फ एक्ट 1954 की दफा 3(एल) में वक्फ की तारिफ हस्बे जैल की गई है।

वक्फ के मायने यह है कि कोई शख्स जो इस्लाम धर्म में यकीन रखता हो और अपने किसी माल को जिसमें मन्कुला व गैर मन्कुला दोनों शामिल है किसी ऐसे मकसद के लिए जो मुस्लिम लॉ के मुताबिक अमूर मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता हो मुस्तकिल तौर पर ऊपर दिये गये मकसद के लिए वक्फ कर दे।

इमाम आजम अबू हनफिया रह० अलैय के नजदीक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी खास चीज का वाकिफ के कब्जा व मुल्क में रहना इसकी मुनफैत का बतौर आरियत के गुर्बा व मसाकिन में गुसरिफ में लाना और कार हा, खैर में लगाना।

साहबैन यानि इमाम आजम अबू हनफिया के शागिर्द इमाम अबू युसुफ रह० और इमाम मौ० रह० के कौल के मवाफिक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी जायदाद मसल आराजी व मकानात वगैरह के हक मिल्कियत से दस्त बरदार होकर राहे खुदा में इसको इस तरह दे देना कि बन्दगाने खुदा को इससे फायदा हो बशर्ते कि माले मौकूफ वक्फ करने के वक्त वाकिफ का माल हो और जब एक मर्तबा वक्फ कर दिया जाए तो वह फिर मतलिक और कतई हो जाता है यानि शै मौकूफ फरोख्त नहीं हो सकती और न ही हिबे हो सकती है।

इमाम मोहम्मद के नजदीक वाकिफ का हक इस वक्त तक नहीं जाता जब तक कोई मुतवल्ली न मुकर्रर किया जाए और वह माल उसके सुपुर्द न किया जाए। इमाम युसुफ के नजदीक वाकिफ को खुद अपने तीन मुतवल्ली मुकर्रर करने और माले मौकूफ के मुबादले का इख्तियार अपने लिए बाकी रखना जायज है। इमाम मौ० रह० ने इस मसले में भी इन से इख्तालाफ किया है। मगर इमाम अबू युसुफ का कौल हुक्म शरई करार दिया गया है और मुल्क की सभी अदालतों ने इसी रवायत की रोशनी में मुकदमों के फैसले सुनाए हैं।

वक्फ का चाहिए कि कतई और गैर मुशरदत को मन्सूख करना किसी के इख्तियार में न हो और यह भी जरूरी है कि वक्फ किसी ऐसे मकसद के लिए किया गया हो जिसमें कोई कसूर व फतवा वाके न हो। मजहबी शिया में वक्फ वह फल है जिसका असर यह होता है कि किसी चीज का ऐन महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है। जवाहर कलाम में वक्फ का मकसद यह लिखा है कि किसी कारे खैर का खुदा की राह में दवामन जारी रखना जिस लफज से भी हो सकता है जिससे

वक्फ का मन्शा जाहिर हो जाए मसलन वक्फ लफज हरमत तसददुक से भी हो सकता है।

शरई इस्लाम में वक्फ की यह तारिफ लिखी है कि वक्फ एक मामला या मोहायदा है जिसका असर या नतीजा यह है कि ऐनुलमाल महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है।

उत्तराखण्ड राज्य में वक्फ बोर्ड का उदय

पर्वत राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखण्ड राज्य दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। भारत सरकार के आदेश दिनांक 5-8-2003 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से वक्फ बोर्ड को पृथक कर निम्न आदेश जारी किये।

आदेश दिनांक 5 अगस्त 2003

केन्द्र सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों सरकारों द्वारा उसकी उपधारा (1) के अंतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डों के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात :-

(क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिये जाएंगे और दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वयं अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डों का संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी।

(ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन और दायित्व संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन तथा दायित्व मानी जाएगी जिसमें वह उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन की तारीख को विद्यमान थी।

(ग) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और बिजनौर जिलों में आने वाली उन सुन्नी वक्फों के संबंध में जहाँ एक ही मुतवल्ली हो किन्तु संपत्तियों दोनों राज्यों में हों वहाँ स्थानीय वक्फ बोर्ड का अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाली संपत्तियों पर नियंत्रण होगा। संबंधित मुतवल्ली अपनी संबंधित अधिकारिता में आने वाली संपत्तियों के संबंध में दोनों वक्फ बोर्डों के पृथक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अधीन 7 प्रतिशत अंशदान एकत्र करेंगे और संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में पृथक रूप से जमा करेंगे। यदि ऐसे वक्फों की बाबत उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य वक्फ

बोर्डों के पुनर्गठन के पश्चात नए मुतवल्लियों की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है तो अपने संबंधित अधिकारिता में स्थित ऐसी वक्फ संपत्तियों के लिए संबंधित वक्फ बोर्ड द्वारा पृथक मुतवल्लियों की नियुक्ति की जाएगी।

(घ) उत्तरांचल के 13 जिलों के अधीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों में सभी पद और कर्मचारी जो उत्तरांचल के 13 जिलों और 2 मंडलों (कुमाऊ और गढ़वाल) से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं थे, उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड के पद और कर्मचारी माने जाएंगे। अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में जो पूरे तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरणीय थे, दोनों राज्यों द्वारा पारस्परिक करार से नितिगत विनिश्चय किया जाएगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्डों के उत्तरांचल औकाफ के पुराने अतिशोध्यों सहित सभी शोध्यों की उनसे वसूली की जाएगी तथा उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा संबंधित उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डों को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर भुगतान किया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर उत्तरांचल राज्य सरकार तीन मासे की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात एक मास के भीतर अपने संसाधनों से ऐसा भुगतान करेगी।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों द्वारा उत्तरांचल राज्य में आने वाली शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी फाईलें और दस्तावेज उत्तरांचल राज्य द्वारा गठित सभी वक्फ बोर्डों को अंतरित किये जाएंगे तथा उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद और कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्थान पर उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(छ) उत्तरांचल राज्य में आने वाली वक्फ सम्पत्तियों के मुतवल्लियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएगी और यदि कोई ऐसा मुतवल्लि दोनों राज्यों में आने वाली वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्लि के विरुद्ध कार्यवाही उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबंध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है :

(ज) इस आदेश के अंतर्गत न आने वाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवादक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार विवरण														
क्रम सं०	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	कुल योग
जनपद/वक्फ सम्पत्ति का प्रकार	अल्मोडा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ़	पौड़ी गढ़वाल	रूद्रप्रयाग	टिहरी	ऊधमसिंहनगर	उत्तरकाशी	
औकाफ की संख्या	46	8	2	11	435	865	181	11	26	2	17	499	2	2105
कब्रिस्तान व तकिया	13	5	0	4	133	386	26	5	9	1	11	179	1	773
मस्जिद	6	3	1	6	155	322	48	3	10	1	4	144	1	704
दरगाह और मजार	5	0	0	1	33	58	17	0	1	0	0	86	0	201
मदरसा/मकतब	1	1	0	1	19	25	14	0	5	0	0	34	0	100
ईदगाह	1	0	0	0	13	31	3	1	1	0	2	18	0	70
कृषि भूमि	0	0	0	0	44	33	3	0	0	0	0	32	0	112
इमामबाडा और करबला	4	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	13	0	32
मुसाफिर खाना	0	0	0	0	2	8	1	0	1	0	0	0	0	12
स्कूल	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	0	12
हुजरा	2	0	0	0	17	22	4	0	0	0	0	0	0	45
प्लॉट	4	3	1	0	22	77	11	1	1	0	0	10	0	130
मकान	34	1	0	0	709	96	126	0	30	0	0	28	0	1024
दुकान	15	0	0	13	429	738	137	2	52	0	0	325	0	1711
खानकाह	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
अन्य	6	0	0	34	97	78	15	0	10	0	0	13	0	253
कुल	92	13	2	59	1680	1891	407	13	120	2	17	885	2	5183

1. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कृत्य— वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ की शक्ति एवं कृत्य निम्नवत है।

धारा 32(1) ऐसी किसी नियम के अधीन रहते हुए जिसका निर्माण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा, एक राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण स्थापित किये गये बोर्ड या राज्य में निहित होगा, और यह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करना बोर्ड का कर्तव्य होगा जिससे यह सुनिश्चित करे कि इसके अधीक्षण के अधीन वक्फों को समुचित तौर पर कायम, नियन्त्रित और प्रशासित किया जाता है और इसकी आय का उपयोजन भली-भाँति ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाता है, जिनके लिए ऐसे वक्फों का सृजन किया गया था या आशय रखा गया था।

परन्तु किसी भी वक्फ के बाबत इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों को प्रयोग करने में, बोर्ड, उस मुस्लिम विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी की गई किसी भी प्रथा या रूढ़ि और वक्फ के प्रयोजनों एवं वक्फ के निर्देशों की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसका वक्फ होता है।

स्पष्टीकरण:— संदेह को दूर करने के लिए यह एतद् घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में वक्फ के अन्तर्गत एक ऐसा वक्फ आता है जिसके सम्बन्ध में कोई योजना विधि के किसी भी न्यायालय द्वारा बनाई गई है, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रतिकूल हुए बिना ही, बोर्ड के कृत्य होंगे—
(क) प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति, आय, उद्देश्य और हितग्राहियों से संबंधित सूचना को धारण करने वाले एक अभिलेख को बनाए रखना।
(ख) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की आय और अन्य सम्पत्ति उन उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती है, जिसके लिए वक्फ का आशय रखा गया था या सृजन किया गया था:

(ग) वक्फों के प्रशासन के लिए निर्देश देगा:

(घ) एक वक्फ के लिए प्रबन्ध की योजना की व्यवस्थापना करना:

परन्तु इस प्रकार का कोई भी व्यवस्थापन सुने जाने का एक अवसर व्यथित पक्षकारों को दिये बिना ही नहीं किया जाएगा।

(ड) निर्देश देना

वक्फ के उद्देश्यों के संगत वक्फ की अधिशेष आय का उपयोग:

एक वक्फ की आय का जिसके उद्देश्य किसी भी लिखत से सुस्पष्ट नहीं होते, किसी तरीके से, उपयोग किया जाएगा:

ऐसे किसी भी मामले में जहाँ वक्फ का कोई भी उद्देश्य अस्तित्वशील रहने से विरत हो गया है या कामयाबी प्राप्त करने में असमर्थ हो गया है, वहाँ वक्फ की आय का इतना अधिक, जितना उस उद्देश्य के प्रति पहले उपयोजित किया था, वह किसी दूसरे उद्देश्य के प्रति भी उपयोजित किया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय में ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए या गरीबों की प्रसुविधा के लिए या मौलिक उद्देश्य के प्रति एक समान या लगभग एक समान होगा:

परन्तु प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिये बिना इस खण्ड के अन्तर्गत कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा:—

सुन्नी वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा, और शिया वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा

परन्तु बोर्ड में शिया या सुन्नी सदस्यों की संख्या तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसे सदस्यों द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए यह ऐसे अन्य मुसलमानों जो शिया या सुन्नी, यथास्थिति हो, जैसा यह उचित समझे, इस खण्ड के अन्तर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

(च) मुतवल्ली द्वारा प्रेषित किये गये बजट की संवीक्षा करना और अनुमोदन करना और वक्फ के खातों का लेखा परीक्षा करने के लिए प्रबन्ध करना,

(छ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार मुतवल्ली की नियुक्ति करना और हटाना,

(ज) किसी भी वक्फ की खोई हुई सम्पत्तियों की वसूली के लिए उपाय करना,

(झ) वक्फ से सम्बन्धित वादों और कार्यवाहियों को संस्थापित और बचाव करना,

(ञ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वक्फ की अचल सम्पत्ति का विक्रय, हिबा, बन्धक, विनिमय या पट्टा द्वारा किसी अन्तरण को अनुमोदित करना,

परन्तु जब तक कि कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे संव्यवहार के पक्ष में मतदान नहीं करते ऐसा अनुमोदन नहीं दिया जाएगा।

(ट) वक्फ कोष का प्रबन्ध करना,

(ठ) मुतवल्ली से वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरणी, ऑकड़ें लेखे और अन्य सूचना जिनकी बोर्ड को समय-समय पर आवश्यकता है उन्हें माँगना,

(ड) वक्फ और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण, और प्रकृति का अवधारण और विस्तार करना और जब कभी भी आवश्यकता हो ऐसी वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण करवाना,

(ण) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना जो वक्फ के नियन्त्रण, रखरखाव एवं प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।

(3) जहाँ पर बोर्ड ने उप धारा 2 के खण्ड घ के अधीन प्रबन्ध योजना तय की है अथवा खण्ड ड के अधीन कोई निर्देश दिया है कोई व्यक्ति जो वक्फ में हित रखता है या ऐसे निर्देश या योजना से प्रभावित होता है तो ऐसी योजना या निर्देश को अपास्त करने हेतु अधिकर.1 में वाद संस्थित कर सकता है और उस पर अधिकर.1 का निर्णय अंतिम होगा।

(4) जहाँ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि कोई वक्फ भूमि जो वक्फ की सम्पत्ति है, शॉपिंग सेन्टर, बाजार, आवासीय गृहों और ऐसे अन्य मदों के विकास के लिए उपयुक्त सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, यह सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को अपना विनिश्चक सुनिश्चित करने के लिए एक नोटिस दे सकेगा, जिसकी अवधि नोटिस में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु साठ दिनों से कम नहीं कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट विकास कार्यों के निष्पादन करने का इच्छुक है या नहीं।

(5) उप धारा 4 के अधीन जारी की गई नोटिस के उत्तर, यदि कोई है, की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा उत्तर के ऊपर विचारण करने पर, यदि यह निर्दिष्ट किया जाता है कि मुतवल्ली इच्छा नहीं कर रहा है या नोटिस की शर्तों में निष्पादित किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों का सम्पादन करने में समर्थ नहीं होता है। यह सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा, उस पर किसी भी इमारत या निर्माण को विनष्ट कर सकेगा, जो बोर्ड की राय में कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक होता है। और वक्फ निधि या वक्फ कोषों से ऐसे कार्य का निष्पादन करेगा जो सम्बन्धित वक्फ की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर विचारणार्थ प्रस्तुत की जा सकती है, और ऐसे समय तक सम्पत्तियों पर नियंत्रण और उनका प्रबन्ध कर सकेगा जो सम्पत्ति पर उपगत किये गये विधिक अन्य परिवर्तनों एवं ऐसे कार्यों के पोषण पर खर्च के साथ इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत किये गये सभी खर्च उस पर ब्याज को सम्पत्ति को व्युत्पन्न हुई आय से वसूला जाएगा।

परन्तु बोर्ड, बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को कब्जे में लिये जाने के बाद तत्काल अग्रेषित तीन वर्षों के दौरान सम्पत्ति से प्राप्त किये गये औसतन वार्षिक विशुद्ध आय के विस्तार तक सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को वार्षिक तौर पर क्षतिपूर्ति करेगा।

(6) उन सभी व्ययों के पश्चात जो उपधारा 5 में प्रगणित है, को विकसित सम्पत्तियों की आय से बलात ग्रहण किया गया है, वे विकसित सम्पत्तियाँ सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को सौंप दी जाएगी।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की संवैधानिक स्थिति

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 102 की उपधारा-2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में दिनांक 06 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 4165/स0क0/2003-36(समाज कल्याण)/2002 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। तत्पश्चात उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य में अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान अवधि में उत्तराखण्ड शासन द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा-14 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के मा0 अध्यक्ष/सदस्यगणों को नामित/नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा-23 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी तैनाती की गई है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का संगठन:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम
01.	श्री शादाब शम्स	अध्यक्ष
02.	श्री मौहम्मद शहजाद	मा0 विधायक/सदस्य
03.	श्री मुनफैत अली, अधिवक्ता	सदस्य
04.	श्री मौहम्मद अनीस	सदस्य
05.	डॉ० हसन नूरी	सदस्य
06.	श्रीमती जिया बानो	सदस्या
07.	श्रीमती कहकशं नूरी, भारतीय वन सेवा	सदस्या
08.	श्री इकबाल अहमद	सदस्य
09.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य
10.	सुश्री दीप्ति सिंह, आई०ए०एस०	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मैनुअल संख्या – 2

धारा-4(I) ख (II)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी— बोर्ड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण समस्त उत्तरदायित्व इस पद में निहित हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 25 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ निम्नवत हैं:—

धारा 25(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा बोर्ड के निर्देशों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों के अन्तर्गत आयेंगे।

(क) वक्फ की प्रकृति एवं विस्तार और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण तथा जब कभी आवश्यक हो मुतवल्लियों से समय-2 पर वक्फ सम्पत्ति की सूची, खातों विवरण और सूचना मांग सकता है।

(ख) वक्फ सम्पत्तियों और उनसे सम्बन्धित खातों, अभिलेखों, विलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण करना या कराना,

(ग) साधारण तौर पर ऐसे कार्यों को करना जो, वक्फ के नियन्त्रण, पोषण और अधीक्षण के लिए आवश्यक है।

(2). किसी भी वक्फ के बावत उप धारा-1 के अधीन निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड, वक्फ के विलेख में वाकिफ द्वारा निर्देशों, वक्फ के प्रयोजन और ऐसे रूढ़ि और प्रथा की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसे कि उस मुस्लिम विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, जिससे वक्फ का सम्बन्ध होता है।

(3). जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर विहित हैं, के सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित या प्रत्योजित किये जाएं।

वक्फ अधिनियम की धारा-26 के तहत बोर्ड के आदेशों या संकल्प के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ:-

जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह समझता है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया आदेश या संकल्प-

(क) विधि के अनुरूप नहीं पारित किया गया है या

(ख) उसके आधिक्य में है या बोर्ड द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या किसी दूसरी विधि द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का दुरुपयोग होता है, या

(ग) यदि संचालित किया जाए, तो-

बोर्ड या सम्बन्धित वक्फ या सामान्य रूप से वक्फ वित्तीय हानिकारिता करने वाला है,

एक बलवा या शांति भंग करने वाला है, या

मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला है, या

(घ) साधारण तौर पर बोर्ड या किसी वक्फ या वक्फों के लिए हितग्राही नहीं है,

वह ऐसे आदेश या संकल्प को कार्यान्वित करने के पूर्व मामले को इस पर पुर्नविचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसे आदेश या संकल्प की पुष्टि और वर्तमान सदस्यों के मत के बहुमत द्वारा और इस प्रकार के पुर्नविचार के पश्चात मतदान को राज्य सरकार के लिए निर्देशित कर सकेगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 29 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके बावत सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड का अन्य अधिकारी ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों जो उल्लेखित की जाएँ, के विषयाधीन रहते हुए एवं ऐसा शुल्क जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्न्त वसूली योग्य हो के भुगतान के विषयाधीन रहते हुए सभी जो युक्तियुक्त समय पर, वक्फ अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति जो वक्फ सम्पत्ति है, वक्फ सम्पत्ति होना दायित्व की जाती है, से सम्बन्धित किसी लोक कार्यालय में किन्ही अभिलेखों, रजिस्ट्रों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

वक्फ अधिनियम की धारा-30(1) के तहत बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे गये अन्य अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे सकता है एवं शुल्क भुगतान किये जाने पर एवं उल्लिखित शर्तों के विषयाधीन रहते हुए इसकी प्रतिलिपि जारी कर सकता है।

धारा-30(2) के अर्न्तगत जारी सभी प्रतिलिपियाँ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में प्राविधानित तरीके से प्रमाणित की जायेंगी।

धारा 30(3) की उपधारा (2) के द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे बोर्ड के अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा भी उपयोग में लाई जा सकती है। यदि बोर्ड द्वारा इस बावत सामान्यतः अथवा विशिष्टतः प्राधिकृत किया गया हो।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण की शक्ति:—

(1) इस दृष्टिगत कोण के साथ परीक्षण करना क्या, उसके कार्यपालकीय या प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुपालन में मुतवल्ली की ओर से कोई असफलता या उपेक्षा होने के कारण कोई हानि या क्षति किसी वक्फ की या वक्फ सम्पत्ति की, कारित की गई, तो बोर्ड की पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारीया तो स्वयंमेव या इसकी ओर से लिखित तौर पर उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी चल व अचल सम्पत्तियाँ जो वक्फ सम्पत्तियाँ हैं और सभी अभिलेखों, संवाहों, योजनाओं, खातों और उनसे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उप धारा (1) में जब कभी भी यथानिर्देशित ऐसा कोई निरीक्षण किया जाता है तो सम्बन्धित मुतवल्ली और सभी अधिकारीगण तथा उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारीगण और वक्फ के प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति एक विस्तारित, इस प्रकार की सभी सहायता एवं प्रसुविधायें जैसा कि आवश्यक हो या ऐसे निरीक्षण को चालू रखने के लिए उसके द्वारा संचित तौर पर आवश्यक समझा गया हो, और वक्फ से सम्बन्धित किसी चल सम्पत्ति या दस्तावेजों का निरीक्षण के लिए पेश करेगा, जिन्हें निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा मंगाया जाए और वक्फ से सम्बन्धित ऐसी सूचना की उसे आपूर्ति करेगा जो उसके द्वारा आपेक्षित हो।

(3) जहाँ इस प्रकार के किसी निरीक्षण के पश्चात यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित मुतवल्ली या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उसके अधीन काम कर रहा था या कर रहा हो उसने वक्फ के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया, दुरुपयोग किया या कपटपूर्ण ढंग से प्रतिधारित किया या वक्फ की निधि से अनियमित, अप्राधिकृत या अनुचित खर्च को उवगत किया, वहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह कारण दर्शित करने का एक युक्तियुक्त अवसर मुतवल्ली या सम्बन्धित व्यक्ति को प्रदानकरने के बाद क्यों न उसके विरुद्ध रकम या सम्पत्ति की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार के स्पष्टीकरण यदि कोई है,पर विचार करने के पश्चात उस रकम या सम्पत्ति के आपूर्ति का निर्धारण कर सकेगा जिसका दुर्विनियोग और दुरुपयोग किया गया है या कपटपूर्ण ढंग से प्रतिधारित किया गया है या ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत किये गये अनियमित रकम अनाधिकृत अवधारित की गई रकम या भुगतान करने की ऐसी कालावधि के भीतर जिसे कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, वक्फ की कथित सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने के लिए इस प्रकार के एक व्यक्ति को निर्देशित करते हुए एक आदेश पारित कर सकेगा।

(4) ऐसे आदेश से व्यथित मुतवल्ली या दूसरा व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिकरण में अपील कर सकेगा। परन्तु कोई भी ऐसी अपील तब तक अधिकरण द्वारा विचारणार्थ ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक अपीलकर्ता कार्यपालक अधिकारी के साथ ऐसी रकम जो अपीलकर्ता द्वारा देय है तथा उपधारा(3) के अन्तर्गत कार्यपालक अधिकारी द्वारा किये गये आदेश के प्रवर्तन अपील के निस्तारण के लम्बित रहते हुए निस्तारण को स्थगित करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति नहीं रखेगा।

(5) अधिकरण, ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने के पश्चात जिसे यह उचित समझता हो, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की पुष्टि कर सकेगा या ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रकम, को या तो पूर्णतया या आंशिक तौर पर भेज

सकेगा और खर्च के सम्बन्ध में, ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे यह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता हो।

(6) उप धारा-5 के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

अधिकार

(क) प्रशासनिक अधिकार —

1. बोर्ड में कर्मचारियों को नियुक्त करना।
उनसे सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र करना।
2. अधीनस्थ कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि का अधिकार।
3. अवकाश वृद्धि स्वीकार करने का अधिकार:— यदि सरकारी कर्मचारी उस प्राधिकारी के नियंत्रण में न रह गया हो जिसने अवकाश स्वीकृत किया गया था तो इस अधिकार का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. बोर्ड के समस्त कार्यों का सम्पादन एवं मार्ग दर्शन:—
5. शासन के अपेक्षानुसार विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करना:—
6. कर्मचारियों के स्थायीकरण/वेतन निर्धारण/वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रकरणों का निस्तारण करना।
7. कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विधि प्रकरणों का निस्तारण करना।
8. चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 45 दिन तक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना।
9. अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में आख्या प्रदान करना।
10. शासन द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

(ख) वित्तीय अधिकार—

1. कार्यालय के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिका, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदना।
2. कार्यालय के प्रयोग हेतु राजकीय मुद्रण आदि का क्रय करना।
3. निर्धारित सीमा तक अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति करना।
4. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का निर्धारित सीमा के अन्दर मानदेय प्रदान करने का अधिकार।
5. अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि देयकों का आहरण वितरण करने का अधिकार।
6. कार्यालय प्रयोगार्थ आवश्यकतानुसार पोस्टेज स्टैम्प आदि स्वीकृत करना।
7. निर्धारित सीमा के अन्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु लेखन सामग्री, रबर स्टैम्पस के स्थानीय रूप से खरीद स्वीकार करना।
8. वित्तीय नियमों संग्रहों के अनुसार निर्धारित सीमान्तर्गत अन्य समस्त देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।

(ग) कर्तव्य :-

1. बोर्ड द्वारा सम्पादित समस्त कार्यों का मार्गदर्शन करना।
2. बोर्ड को प्राप्त शिकायतों का अध्यावधिक अध्ययन एवं उचित कार्यवाही करना।
3. बोर्ड द्वारा की गई सिपारिश को शासन/सरकार को प्रभावी कार्यों हेतु प्रेषित करना।
4. राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में शासन के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड द्वारा कार्यों का सम्पादन समय सारणी के अनुसार किया जाता है तथा गुणात्मक दृष्टि से उनका स्तर अच्छा रहता है।
6. विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक आंकड़ों के रख-रखाव की समुचित तथा ऐसी व्यवस्था करना जिसे आवश्यकता पड़ने पर सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके।
7. बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना।
8. बोर्ड में नामित मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगणों की समस्याओं/सुझाव आदि को शासन/सरकार को अग्रसारित करना।
9. बोर्ड को प्राप्त शिकायतीवादों पर बोर्ड के अनुमोदन पर स्थलीय निरीक्षण करना।

बोर्ड द्वारा कार्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नवत कार्यभार सौंपा गया है:-

1	श्री मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक।	1. वक्फ सम्पत्तियों के स्थलीय निरीक्षण का कार्य। 2. भारत सरकार एवं केन्द्रीय वक्फ परिषद से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य। 3. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत समस्त कार्य। 4. वक्फ अधिनियम की धारा-52 एवं 54 एवं 70 से सम्बन्धित कार्य। 5. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन से सम्बन्धित कार्य। 6. वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य। 7. वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करने से सम्बन्धित कार्य। 8. वक्फ सम्पत्ति के लीज/पट्टे से सम्बन्धित कार्य। 9. लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तरालेख तैयार करना। 10. बोर्ड के कार्मिकों को अपेक्षित सहयोग करना। 11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2	श्री सोहन सिंह रावत रिकार्ड कीपर।	1. रिकार्ड से सम्बन्धित समस्त कार्य। 2. नकल तैयार करना एवं पत्रावलियों का मुआयना कराना। 3. बोर्ड बैठक हेतु एजेण्डा तैयार करना एवं अनुपालन आख्या तैयार करना। 4. लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन। 5. रजिस्टर के अनुसार समस्त पत्रावलियों को सुव्यवस्थित रखना। 6. जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोडा, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य। 7. स्टेशनरी, स्टॉक एवं डेड स्टॉक तथा उनकी पंजिकाओं का रख-रखाव। 8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त कनिष्ठ सहायक।	1. लेखा सम्बन्धित पत्रावलियां तैयार करना। 2. वक्फ बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा में सहयोग करना। 3. E-Officeमें अन्य कार्मिकों को सहयोग करना। 4. जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में स्थित वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3	श्री आलिम खान, कनिष्ठ सहायक।	1. सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य। 2. स्थापना से सम्बन्धित कार्य। 3. डाक डिस्पेंच से सम्बन्धित कार्य, डाक प्राप्त करना। 4. जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

मैनुअल संख्या – 3
धारा-4(I) ख (III)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

वक्फ सम्पत्तियों/तौलियत के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति बयान हलफी के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रेषित कर सकता है। बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर जाँच हेतु जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वक्फ निरीक्षक या किसी बोर्ड के सदस्य को भेजा जा सकता है, और शिकायती प्रकरण पर जाँच आख्या बोर्ड को प्रेषित की जाती है, वाद की सुनवाई की जाती है और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तत्पश्चात बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनका अनुपालन किये जाने का प्राविधान है।

बोर्ड द्वारा वर्ष में चार सामान्य बैठकें की जाएगी तथा बैठक का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाएगा यदि बोर्ड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से नहीं हो पाता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय माना जायेगा। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जायेगा। यदि बोर्ड का प्रस्ताव वक्फ के हित में न हो तो वह प्रस्ताव पुनः बोर्ड में विचार हेतु भेजा जाएगा और यदि पुनः यह प्रस्ताव वक्फ के हित में नहीं प्रतीत होता है तो वह शासन में भेज दिया जाएगा।

मैनुअल संख्या- 4

धारा-4(I) ख (IV)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित
मापमान

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किये गये हैं।

मैनुअल संख्या – 05
धारा 4(1)(ख)(V)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशित और अभिलेख

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्य नियमानुसार वक्फ अधिनियम की सुसंगतधाराओं, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम-2017 एवं वक्फ लीज रूल्स के तहत व्यवहृत किये जा रहे हैं।

1. वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013)
2. वक्फ संशोधित अधिनियम 2025
3. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम – 2017
4. वक्फ लीज रूल्स 2014, 2015 एवं वक्फ लीज रूल्स 2020

उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रमांक 01 से 04 की प्रतियाँ

<https://uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in>
पर उपलब्ध है।

मैनुअल संख्या – 06

धारा-4(1) ख(VI)

ऐसे दस्तावेजों के जो उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में हैं, प्रवर्गों का विवरण

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय में बोर्ड गठन के पश्चात ऐसे दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय प्रवृत्ति के न होने के कारण सर्वसुलभ है। वक्फ बोर्ड स्तर पर कोई गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बोर्ड में नियुक्त/नामित बोर्ड के मा० अध्यक्ष एवं मा० सदस्यगणों/अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फों की सर्वे/जनरल आदि पत्रावलियों निम्नवत हैं।

1. मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों को नियुक्त/नामित किये जाने से सम्बन्धित पत्रावली।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली
3. बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली।
4. जनपदवार वक्फ दफा-37 रजिस्टर
5. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जनपदवार वक्फों की सर्वे पत्रावलियाँ
6. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जनपदवार वक्फों की जनरल पत्रावलियाँ
7. अन्य जनरल पत्रावलियाँ
8. वादों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।
9. डिस्पैच रजिस्टर
10. पत्र प्राप्ति रजिस्टर
11. कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित पंजिका
12. कैशबुक
13. वेतन रजिस्टर
14. आदि अन्य पत्रावलियाँ।

उक्त सभी पत्रावलियाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में कार्यालय में मौजूद हैं।

मैनुअल संख्या – 07
धारा-4(1) ख(VII)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के गठन हेतु जारी राज्य सरकार के राजपत्र में निहित व्यवस्था ही लागू हैं जनता के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसलिए किसी व्यवस्था की विशिष्टियों के सम्बन्ध में जनता द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः उक्त धारा से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

मैनुअल संख्या- 08

धारा-4(1) ख (VIII)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है। और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनका की पहुंच होगी, विवरण।

बोर्ड की बैठक में मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगणों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। उक्त बैठक आम जनता के लिए नहीं खुली है, लेकिन उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति नियमानुसार वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित) 2013/यथासंशोधित 2025 की धारा-30 के तहत निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त प्राप्त की जा सकती है या उक्त कार्यवृत्त की प्रतियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के तहत भी प्राप्त की जा सकती है।

मैनुअल संख्या- 09

धारा-4(1) ख (IX)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	दूरभाष	ई-मेल
01.	सुश्री दीप्ति सिंह, आई०ए०एस० मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	ceouk@wakf.gov.in
02.	श्री मौहम्मद अली वक्फ निरीक्षक	9012345786	waqfinspector@gmail.com
03.	श्री सोहन सिंह रावत रिकॉर्ड कीपर	9897995534	waqfinspector@gmail.com
04.	श्री आलिम खान कनिष्ठ सहायक	—	—
05.	राजेन्द्र प्रसाद पंत कनिष्ठ सहायक	—	—

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में नियत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण।

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	
01.	श्री बंशराज मौय, वाहन चालक कम मल्टी टॉसिंग स्टॉफ	—
02.	श्री मौहम्मद आबिद अनुसेवक	—

मैनुअल संख्या – 10

धारा-4(1) ख(X)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त वेतन/पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो।

नाम एवं पदनाम	वेतनमान रू०	टिप्पणी
सुश्री दीप्ति सिंह, आई०ए०एस० मुख्य कार्यपालक अधिकारी	आई०ए०एस० अधिकारियों की भांति शासन द्वारा प्रदत्त	
श्री मौहम्मद अली वक्फ निरीक्षक	रू० 35400–112400	(लेवल-6)
श्री सोहन सिंह रावत रिकॉर्ड कीपर	रू० 29200–92300	(लेवल-4)
श्री आलिम खान कनिष्ठ सहायक	रू० 21700–69100	(लेवल-3)
राजेन्द्र प्रसाद पंत कनिष्ठ सहायक	रू० 21700–69100	(लेवल-3)
श्री बंशराज मौर्य, वाहन चालक कम मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ	पी०आर०डी० मानकों के तहत।	
श्री मौहम्मद आबिद, अनुसेवक	पी०आर०डी० मानकों के तहत।	

मैनुअल संख्या – 11

धारा-4(1) ख (XI)

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये
संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित
करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित
बजट

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को शासन द्वारा वित्तीय वर्ष
2025-26 की अवधि में बोर्ड की सहायता मद में रू0 61.00 लाख
की धनराशि प्राविधानित की गई है।

मैनुअल संख्या – 12

धारा-4(1) ख(XII)

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें
आवंटित धनराशि और कार्यक्रमों के
फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में सहायिकी कार्यक्रमों के
निष्पादन का कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः उक्त धारा के सम्बन्ध
में सूचना शून्य समझी जाए।

मैनुअल संख्या— 13

धारा—4(1) ख(XIII)

अपने द्वारा प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में ऐसे कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाते हैं। अतः उक्त धारा की सूचना शून्य समझी जाए।

मैनुअल संख्या – 14

धारा-4(1) ख (XIV)

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में
ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा
धारित हो।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड सम्बन्धी विवरण इन्टरनेट पर बोर्ड की
वैबसाईट <https://uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in>
पर उपलब्ध है।

मैनुअल संख्या – 15

धारा-4(1) ख(XV)

सूचना अधिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

1. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत कक्ष में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।
2. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत द्वारा पर सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्ध सूचना पट्ट लगाया गया है।
3. सूचना कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
4. वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013/यथासंशोधित 2025 की धारा-30 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी पत्रावली का मुआयना (**Inspection**) कर सकता है एवं उसमें से चिन्हित अभिलेखों की प्रतियाँ नियमानुसार प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या 834 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के द्वारा नियम संख्या 46(3) में प्रदत्त देने एवं नियम संख्या 49(1) में अभिलेखों के निरीक्षण हेतु नियम अधिसूचित किये गये हैं।

मैनुअल संख्या-16

धारा 4(1) (ख) (XVI)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

विभागीय अपीलीय अधिकारी:

सुश्री पुष्पा मिश्रा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण
विभाग, देहरादून।

Email: ceouk@wakf.gov.in

लोक सूचना अधिकारी:

श्री सोहन सिंह रावत
रिकॉर्ड कीपर
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
मो0 9897995534

Email: sohansinghrawat962@gmail.com

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

श्री आलिम खान
कनिष्ठ सहायक
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
मो0 9634763148

मैनुअल संख्या-17

धारा 4(1) (ख) (XVII)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की ऐसी अन्य सूचना जो निहित की जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्राप्त आवेदनों की और प्रदान की गई जानकारी का विवरण।

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	अनिस्तारित वादों की संख्या
2023-2024	98	—	—
2024-2025	84	—	—
2025-2026	129	—	—